श्री रमेश ऋषि, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–18/2/1969 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत कुमारखंड प्रखंड के रानीपट्टी बैतरनी नहर, रानीपट्टी से बीरपुर जाने वाली सड़क कम चौड़ी होने तथा सिकियाहाँ के पास साइफन नहीं होने के कारण जाम की समस्या एवं सिकियहा के पास पानी जमा रहता है, यदि हाँ तो सरकार उक्त सड़क का कबतक चौड़ी–करण एवं उक्त स्थान पर साइफन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी कोशी मुख्य नहर के कि0मी0 18.30 (दायाँ) से रानीपट्टी वितरणी निःसृत है। इस वितरणी की कुल लंबाई 47.13 कि0मी0 है। नहर का प्रारंभ बिन्दु सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड तथा अंतिम बिन्दु मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में नाबार्ड के तहत नहर के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 47.13 तक सेवापथ का बिटुमिनस सड़क का निर्माण कराया गया है। जिससे वाहनों का आवागमन सुगमतापूर्वक हो रहा है। ग्राम–रानीपट्टी, प्रखंड–कुमारखंड, जिला– मधेपुरा नहर के कि0मी0 47.13 के समीप अवस्थित है। रानीपट्टी से वीरपुर जाने हेतु इस वितरणी पर निर्मित सड़क का कुल 47.13 कि0मी0 एवं मुख्य नहर पर निर्मित सड़क का कुल 14.30 कि0मी0 का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त रानीपट्टी वितरणी के सामांतर एस0एच0–91 सड़क गुजरती है। जो मुख्य नहर को कि0मी0 18.30 पर क्रॉस करती है। रानीपट्टी से वीरपुर अनुमंडल मुख्यालय तक जाने हेतु इस सड़क का भी उपयोग किया जाता है। अधिकतर वाहनों का आवागमन एस0एच0–91 से होने के फलस्वरूप इस नहर के सेवापथ पर निर्मित सड़क के चौड़ीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रश्नगत सायफन संरचना के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत है:– मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के सिकियाहाँ के पास सायफन रानीपट्टी वितरणी का कि0मी0 43.29 है। नाबार्ड के तहत सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर अन्तर्गत पूर्वी कोशी नहर प्रणाली के पुनर्स्थापन कार्य अन्तर्गत रानीपट्टी वितरणी का पुनर्स्थापन कार्य प्रगति पर है। जिसमें कि0मी0 43.29 पर सायफन संरचना का निर्माण कार्य भी सम्मिलित है। इस कार्य को दिसम्बर 2026 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(सह0)–05–62 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–18 / 2 / 1969 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(सह0)–05–62 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(सह0)–05–62 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(सह0)–05–62 / 2026– 1284 पटना, दिनांक– 18/03/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17.03.26
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
17.03.26